न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 1/2018 (राजसमन्द आर्डर)

छगनलाल पिता दोला जी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द

..... अपीलान्ट

बनाम

1. किशनलाल पिता भंवरलाल जी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती मिठ्ठूबाई पत्नी किशनलाल जी गुर्जर, निवासी भावा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधि. 1956 विरूद्ध निर्णय
जिला कलक्टर, राजसमन्द दिनांक
28–11–2017 प्रकरण सं. 5/2013

———/———

उपस्थित :– 1– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रेस्पो. 1, 2
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय **दिनांक 18–06–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द में प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा विपक्षी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द द्वारा दिनांक 24–03–2008 को ग्राम भावा की आराजी नंबर 46 में से रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि आवंटित की गयी, जिसके बटा नंबर 46/2 हैं। उक्त आवंटन विधि के विपरीत है, क्योंकि उक्त भूमि आवंटन योग्य नहीं थी। उक्त भूमि पर पिछले 30 वर्षो से कब्जा प्रार्थी का चला आ रहा है तथा यह भूमि प्रार्थी की अन्य खातेदारी की भूमियों के साथ स्थित होकर चारो ओर उसकी

बाउण्डीवाल बनी हुई है। प्रार्थी को धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नोटिस भी जारी किये गये हैं तथा पेनाल्टी राशि प्रार्थी द्वारा जमा करायी गयी है। प्रार्थी का बिना कब्जा हटाये विपक्षीगण को आवंटन किया गया है जो सर्वथा गलत है। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं है तथा उसके द्वारा तथ्यों को छुपाकर आवंटन प्राप्त किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना भी नहीं की गयी है तथा नियमों के विपरीत जाकर मिली भगत के आधार पर उसे 2 वर्ष 8 माह में ही खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं, जबकि आवंटन के 3 वर्ष पूर्व खातेदारी अधिकार दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं हैं। विवादित भूमि पर कब्जा प्रार्थी का है। अतएवं आवंटन खारिज किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद आने निर्णय दिनांक 28–11–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–12–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया एवं अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने अपील में प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा स्थल निरीक्षण का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर उनके द्वारा बहस भी की गयी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने स्थल निरीक्षण के आवेदन का मूल आवेदन के साथ निर्णय करते हुए खारिज कर दिया, जो

नियमों के विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण के आवेदन पर निर्णय करने के बाद ही मूल आवेदन पर गुणावगुण पर सुनकर निर्णय करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट ने अपने अतिक्रमण बाबत् रसीदें प्रस्तुत की थी तथा अपने कब्जे की साक्ष्य प्रस्तुत की थी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उन पर कोई गौर नहीं किया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये अन्य उजरात पर भी विवेचन नहीं किया है।

→ प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह प्रकट आया कि दिनांक 19–07–2016 को प्रार्थी की ओर से स्थल निरीक्षण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके जवाब के लिऐ पत्रावली दिनांक 21–11–2017 तक चलती रहे। दिनांक 21–11–2017 की आदेशिका के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने मौका निरीक्षण के आवेदन के निर्णय के स्थान पर मूल प्रार्थना पत्र का ही निस्तारण कर दिया। मूल प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट/प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिया जाना प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28–11–2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में गुणावगुण आधार पर भी अपीलान्ट/प्रार्थी को एक बार पुनः सुनवाई का अवसर देकर उनके द्वारा उठायी गयी समस्त आपत्तियों पर विवेचन कर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16–08–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–06–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर